

मध्यप्रदेश शासन  
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग  
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक /6/03/2024

क्र. IPI/5/0055/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् मेसर्स वेलस्पन कॉर्प लि. द्वारा रू. 123.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश संबंधी प्रस्ताव (CIE14248) पर शासनादेश दिनांक 22.06.2018 के संबंध में पुनर्विलोकन अभ्यावेदन पर निम्नानुसार सुविधायें दिए जाने का निर्णय लिया गया-

1. परियोजना को शासनादेश दिनांक 22.06.2018 द्वारा राज्य के खजाने में अंतिम रूप से प्राप्त होने वाली नेट एसजीएसटी राशि की 75% की दर से 7 वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति, प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश की सीमा तक, स्वीकृत की गयी थी। निर्णय लिया गया कि परियोजना को उक्त सुविधा हेतु 03 वर्षों का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाये। इकाई को स्वीकृत सुविधाओं की अधिकतम सीमा राज्य स्तरीय साधिकार समिति द्वारा परियोजना अन्तर्गत मान्य पूंजी निवेश की सीमा तक होगी।
2. शासनादेश दिनांक 22.06.2018 द्वारा स्वीकृत शेष सुविधाएं एवं विहित शर्तें यथावत रहेंगी।
3. कम्पनी की शेष मांग को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार

  
(शाश्वत सिंह मीना)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक /6/03/2024

पृ. क्र. IPI/5/0055/2023/ए-ग्यारह  
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
4. कलेक्टर, जिला- रायसेन।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स वेलस्पन कॉर्प लि., वेलस्पन हाउस, 5 फ्लोर, कमला सिटी, सैनापति बापट मार्ग, लोवरपल, मुम्बई - 400013।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग